

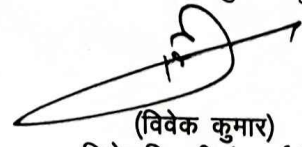
क्रमांक:- एफ.2(3000) / डी.ओ.आई.टी. / संस्था / 14 / 03563 / 2020 जयपुर, दिनांक 20.08.2020
अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित सूचना सहायकों ने उनके नाम के सम्मुख अंकित निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है:-

क्र.सं.	केट नं./रोल नं.	नाम श्री/श्रीमती/श्री	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1	1217	अब्दुल अजीज	कमाण्ड कन्ट्रोल सेंटर, सू. प्रौ. और संचार विभाग, जोधपुर	ACF & FOREST RANGE OFFICER COMP. EXAM(RPSC) NTPC COMP. EXAM-2020(RAILWAY) AND CIVIL SERVICES COMP. EXAM-2020(UPSC)
2	W-2154	अमित महावर	जिला कार्यालय, सू. प्रौ. और संचार विभाग, पंचायत समिति-उगियावा, टोंक	SCIENTIST-'B' AND SCIENTIFIC TECH. 'A' COMP. EXAM-2020
3	1022	अंकित शर्मा	कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, अजमेर जोन, अजमेर	NET COMP. EXAM-(JUNE,2020)
4	2559	छवि शर्मा	कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रार/अधिकारी, किशनगढ़बास, अलवर	SCIENTIST-'B' AND SCIENTIFIC TECH. 'A' COMP. EXAM-2020
5	251002	अर्चना पारेला	कार्यालय तहसीलदार, मौजामाबाद, जयपुर	CIVIL SERVICES COMP. EXAM-2020, ENFORCED OFFICER COMP. EXAM-2020 AND SCIENTISTS-B AND TECHNICAL ASSISTANT-A
6	223582	आशा राम भागू	जिला कार्यालय, सू. प्रौ. और संचार विभाग, धूलू	ACF & FOREST RANGE OFFICER COMP. EXAM(RPSC), ENFORCED OFFICER AND ACCOUNT OFFICER COMP. EXAM-2020

उपर्युक्त सूचना सहायकों को उपर्युक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र राजस्थान सिविल सेवाएं (आचरण) नियम, 1971 के नियम-17 की निम्नलिखित शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है:-

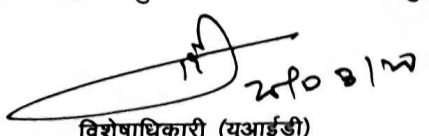
1. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
4. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
5. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
7. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।


(विवेक कुमार)

विशेषाधिकारी (यूआईडी)
एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कार्मिक।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।


विशेषाधिकारी (यूआईडी)

एवं प्रभारी अधिकारी संस्थापन (अराजपत्रित)